रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2018/चैत्र 21, 1940
No. 149] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2018/CHAITRA 21, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसचना

मुंबई, 2 अप्रैल, 2018

सं. टीएएमपी/18/2016-केपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) द्वारा अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए डीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा 21 जून, 2016 के पारित आदेश संख्या: टीएएमपी/18/2016-केपीटी में अनुमोदित संशोधित दरमानों में संशोधन के डीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास **- - -** **आवेदक**

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मार्च, 2018 के 19वें दिन को पारित)

मामला, दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) [पहले कांडला पत्तन न्यास के नाम से जाना जाता था] से 9 जनवरी 2018 को प्राप्त दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) द्वारा अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए डीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा 21 जून, 2016 के पारित आदेश संख्या: टीएएमपी/18/2016-केपीटी में अनुमोदित संशोधित दरमानों में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित है।

1.2. इस प्राधिकरण ने डीपीटी से उसके दरमानों में सामान्य संशोधन से प्राप्त प्रस्ताव पर निष्पादन मानकों के साथ संशोधित दरमान अपने 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी के द्वारा पारित किया था। संशोधित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी के द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान और निष्पादन मानक 12 जुलाई, 2016 के राजपत्र संख्या 287 में अधिसूचित हुए। बाद में, 10 अगस्त, 2016 के राजपत्र संख्या 319 में एक सकारण आदेश अधिसूचित हुआ था।

2.1. अब, 21 जून, 2016 के उक्त आदेश के संदर्भ में, डीपीटी ने अपने 09 जनवरी, 2018 के पत्र संख्या एफए/कॉस्ट/1021-एसओआर/15 के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये हैं :

(i). अनुमोदित दरमान में, अध्याय-III - कार्गो संबंधी प्रभार अनुसूची - 2.5. -सीमा शुल्क बद्ध क्षेत्र के भीतर खुले और आवृत्त स्थान के सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क- निर्धारित दरें प्रति माह अथवा उसके एक भाग के लिए हैं, जबकि प्रभार स्लैब अवधियां (दिनों की संख्या में) निम्नवत् है:-

0 - 60 **दिन**

61 - 90 **दिन**

91 - 180 **दिन**

180 **दिन से आगे।**

(ii). चूंकि दर प्रति माह आधार पर है और अधिभोग दिन आधार पर है, दूसरे महीने में भंडारण क्षेत्र का नवीनीकरण करते समय पत्तन प्रयोक्ताओं से दूसरी स्लैब दर अर्थात् 60-90 दिन का प्रभार वसूला जाता है। ऐसा इसलिए कि स्थान के लिए दूसरा महीना फरवरी महीने के सिवाय 60 दिन से बढ़ जाता है। पत्तन प्रयोक्ता वर्तमान दरमानों के कार्यान्वयन के इस मुद्दे को बार-बार उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर डीपीटी द्वारा परीक्षण किया गया और "महीने" में "अधिभोग अवधि" की नामावली के बारे में अस्पष्टता को दर के अनुरूप हटाने की आवश्यकता महसूस की गई जो पहले से ही प्रति माह आधार पर है।

(iii). डीपीटी के दरमानों में अधिभोग अवधि की प्रचलित और प्रस्तावित नामावली नीचे सारणीबद्ध की जाती है:

21.06.2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी द्वारा अनुमोदित अनुसूची - 2.5. -सीमा शुल्क बद्ध क्षेत्र के भीतर खुले और आवृत्त स्थान के सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क-में यथानिर्धारित अधिभोग अवधि	**प्रस्तावित अधिभोग अवधि**
0 – 60 दिन **61 – 90 दिन** **91- 180 दिन** **180 दिन के इतर**	**दो महीने तक** **दो महीने से अधिक से तीन माह तक** **तीन महीने से अधिक से छह माह तक** **छह महीने से इतर**

(iv). उक्त दरमान में महीने की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ब्रिटिश शब्दकोश के अनुसार महीने की एक परिभाषा इस प्रकार है:

'समय की वह विस्तारित अवधि जो एक तारीख से आरंभ होकर आगामी कलैंडर माह की सदृश तारीख तक होती है'

अत: अधिभोग की अवधि और लाइसेंस (भंडारण) शुल्क के ढांचे में भिन्नता के कारण अति प्रभार वसूली से प्रयोक्ताओं को बचाने के लिए डीपीटी ने अधिभोग अवधि की दर के अनुरूप, जो प्रति माह आधार पर है, दिनों की संख्या से महीने में परिवर्तित करने का वर्तमान प्रस्ताव दायर किया है। डीपीटी ने डीपीटी के दरमानों में 'महीने' की उक्त परिभाषा को अपनाने का प्रस्ताव भी किया है। तदनुसार, डीपीटी के न्यासी मंडल के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया।

(*क*). "दर" के अनुरूप जो पहले से प्रति माह आधार पर है, "अधिभोग अवधि" की नामावली को "महीनों" में परिवर्तित करना:-

दो महीने तक

दो महीने से अधिक से तीन माह तक

तीन महीने से अधिक से छह माह तक

छह महीने से इतर;

(*ख*). डीपीटी के दरमानों में 'महीने' की निम्न परिभाषा को अपनाना, जैसी ब्रिटिश शब्दकोश में दी गई है:-

'समय की वह विस्तारित अवधि जो एक तारीख से आरंभ होकर आगामी कलैंडर माह की सदृश तारीख तक होती है'

(iii). डीपीटी के न्यासी मंडल ने 2 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में, संकल्प संख्या 33 के द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने का प्रस्ताव किया। 2 अगस्त 2017 के बोर्ड संकल्प की प्रति प्रस्तुत है।

(iv). उक्त को देखते हुए, प्राधिकरण प्रस्ताव को अनुमोदित और अधिसूचित करे, जैसा नीचे दिया गया है:-

क. अध्याय. III- कार्गो संबंधी प्रभार:-

2.5 सामान्य कार्गो (क) खुले स्थान के लिए और (ख) आवृत्त स्थान के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क:

"दर" के अनुरूप जो पहले से प्रति माह आधार पर है, "अधिभोग अवधि" की नामावली को "महीनों" में परिवर्तित करना:-

दो महीने तक

दो महीने से अधिक से तीन माह तक

तीन महीने से अधिक से तीन माह तक

छह महीने से इतर;

ख. अनुसूची 2.5-सामान्य कार्गो लाइसेंस (भंडारण) शुल्क के अंतर्गत 'माह' की निम्नलिखित परिभाषा जैसी ब्रिटिश शब्दकोश में दी गई है, को अपनाते हुए टिप्पणी (8) अंतर्विष्ट करें:

'समय की वह विस्तारित अवधि जो एक तारीख से आरंभ होकर आगामी कलैंडर माह की सदृश तारीख तक होती है।'

2.2. तदनुसार, डीपीटी ने प्रस्तावित संशोधन पर सुविचार करने और डीपीटी के वर्तमान दरमानों को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

2.3. अनुसूची 2.5 - सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क के संशोधन के लिए डीपीटी का प्रस्ताव (मोटे अक्षरों से उजागर) को नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संगत अनुसूची 2.5.-सीमा शुल्क बद्ध क्षेत्र के भीतर खुले और आवृत्त स्थान के सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क और प्राधिकरण द्वारा 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-डीपीटी द्वारा अनुमोदित।

(क). खुले स्थान के लिए:

अभिभोग की अवधि	**दर प्रति 10 वर्ग.मी. अथवा उसका भाग प्रति माह अथवा उसका भाग**		
	कच्चा प्लॉट (बिना सीमेंट बिना अस्फालटेड (रु. में)	**पक्का प्लॉट (सीमेंट वाले अस्फालटेड** (रु. में)	**धानी और उत्थित कुर्सी क्षेत्र** (रु. में)
0 – 60 दिन	84.00	144.00	168.00
61–90 दिन	168.00	288.00	336.00
91–180 दिन	210.00	360.00	420.00
180 दिनों के बाद	252.00	432.00	50 .00

(ख). आवृत्त स्थान के लिए:

अधिभोग के अवधि	**दर प्रति 10 वर्ग.मी. अथवा उसका भाग प्रति माह अथवा उसका भाग (रु. में)**
0 – 60 दिन	279.00

अनुसूची 2.5.-सीमा शुल्क बद्ध क्षेत्र के भीतर आवृत्त स्थान के सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क में संशोधन के लिए डीपीटी का 09.01.2018 का प्रस्ताव

I. वर्तमान दरमानों में अधिभोग अवधि में दिनों की संख्या को महीनों में परिवर्तित करने का निम्नलिखित प्रस्तावित संशोधन:

(क). खुले स्थान के लिए:

अभिभोग की अवधि	**दर प्रति 10 वर्ग.मी. अथवा उसका भाग प्रति माह अथवा उसका भाग**		
	कच्चा प्लॉट (बिना सीमेंट बिना अस्फालटेड (रु. में)	**पक्का प्लॉट (सीमेंट वाले अस्फालटेड (रु. में)**	**धानी और उत्थित कुर्सी क्षेत्र (रु. में)**
दो महीने तक	**84.00**	**144.00**	**168.00**
दो महीने से अधिक से तीन माह तक	**168.00**	**288.00**	**336.00**
तीन महीने से अधिक से छह माह तक	**210.00**	**360.00**	**420.00**
छह महीने से इतर	**252.00**	**432.00**	**504.00**

(ख). आवृत्त स्थान के लिए:

अधिभोग के अवधि	**दर प्रति 10 वर्ग.मी. अथवा उसका भाग प्रति माह अथवा उसका भाग (रु. में)**
दो महीने तक	279.00

61 – 90 दिन	558.00
91 – 180 दिन	697.50
180 दिन से बाद	837.00

महीने से अधिक से तीन माह तक	558.00
तीन महीने से अधिक से छह माह तक	697.50
छह महीने से इतर	837.00

(ग). अनुसूची 2.5 के नीचे महीने की परिभाषा देते हुए टिप्पणी संख्या 8 के रूप में अंतर्विष्ट करें:

"(8). समय की वह विस्तारित अवधि जो एक तारीख से आरंभ होकर आगामी कलैंडर माह की सदृश तारीख तक होती है।"

3. प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा पर, डीपीटी को हमारे 19 फरवरी 2018 के पत्र के द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया। डीपीटी ने अपने 22 फरवरी, 2018 के ई-मेल द्वारा उत्तर दिया। हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण और डीपीटी द्वारा दिये गए उत्तर को नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:

क्र.सं.	**हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण**	**डीपीटी का उत्तर**
(i).	प्राधिकरण द्वारा 21 जून 2016 के आदेश संख्या. टीएएमपी/18/2016-केपीटी द्वारा अनुमोदित डीपीटी के दरमानों के सामान्य संशोधन के पैरा 20 (xiii) से देखा जाता है कि 84,251.84 लाख रु. का वार्षिक राजस्व अपेक्षा में से 700 लाख रु. का अंतर रह गया था जिसे कुछेक प्रशुल्क मदों और समाभिरूपताओं में से डीपीटी द्वारा वहन करने के छोड़ दिया गया था जिसके लिए डीपीटी राजस्व प्रभाव को कलमबद्ध नहीं कर सका है। डीपीटी प्रस्तावित संशोधन का राजस्व प्रभाव प्रस्तुत करे।	कोई बड़ा वित्तीय प्रभाव नहीं है।

4. अब डीपीटी ने प्रयोक्ताओं के अनुरोध पर अभिभोग की अवधि के स्लैबों में दिनों की संख्या को महीनों में करने के संशोधन का वर्तमान प्रस्ताव दायर किया है। चूंकि डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव प्रयोक्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों से प्रवाहित हुआ है, जैसा डीपीटी ने सूचित किया है, संशोधन प्रस्ताव पर परामर्शी प्रक्रिया आवश्यक नहीं समझी गई।

5. डीपीटी का प्रस्ताव वर्तमान करार में उगाही की यूनिट (माह और उसका एक भाग) और स्थान (दिनों की संख्या) के अधिभोग की प्रभार्य अवधि के बीच बेमेलता होने से प्रकाश में लाया गया है। महीना(नों) के संदर्भ में अधिभोग की प्रभार्य अवधियों में संशोधन माह या उसके एक भाग के संदर्भ में उगाही की विद्यमान यूनिट के अनुरूप है।

6.1. डीपीटी के वर्तमान अनुमोदित दरमानों में माह की परिभाषा निर्धारित नहीं है। महीने के संदर्भ में अधिभोग की अवधि में प्रस्तावित संशोधन के फलस्वरूप, डीपीटी ने 'माह' की परिभाषा नियत करते हुए अनुसूची 2.5 के नीचे टिप्पणी संख्या 8 को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव किया है जिसे ब्रिटिश शब्दकोश में दी गई माह की परिभाषा के अनुरूप अपनाया गया है:

'समय की वह विस्तारित अवधि जो एक तारीख से आरंभ होकर आगामी कलैंडर माह की सदृश तारीख तक होती है।'

6.2. महापत्तन न्यासों के दरमानों में महीने की परिभाषा में समरूपता नहीं है। विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) और चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के दरमानों में माह की परिभाषा "माह का अर्थ कलैंडर माह से है" दी गई है। कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी), कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) और मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के दरमानों में माह की परिभाषा "माह का अर्थ अवकाश के दिनों सहित लगातार 30 कलैंडर दिवस है जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए" है।

6.3. चूंकि डीपीटी की प्रस्तावित परिभाषा सीओपीटी, केओपीटी और एमबीपीटी के दरमानों में परिभाषित शब्दावली के निकटतम है और इस बात को मानते हुए कि डीपीटी के बोर्ड ने इसे अनुमोदित किया है, डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित माह की परिभाषा को अनुमोदित किया जाता है।

पत्तन ने 'माह' की परिभाषा को अनुसूची 2.5 के नीचे टिप्पणी संख्या 8 के रूप में अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव किया है। डीपीटी के वर्तमान दरमानों में प्रस्तावित परिभाषा को परिभाषाएं- सामान्य-1.1, अध्याय-1 में परिभाषा संख्या (vii) के बाद अंतर्विष्ट करना उपयुक्त रहेगा, जहां विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषाएं दी गई हैं।

7. सामान्यत: इस प्राधिकरण के आदेश राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन बाद उत्तरवर्ती प्रभाव से प्रभावी होते हैं। तदनुसार, इस प्रधिकरण के 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी द्वारा अधिसूचित वर्तमान दरमानों के इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उक्त संशोधन भारत के राजपत्र में दरमानों की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रभावी बनाये जाते हैं।

8.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर इस प्राधिकरण के 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी द्वारा अधिसूचित वर्तमान दरमानों के इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किये जाते हैं:

(i). दरमानों में अध्याय-III - अनुसूची 2 के अंतर्गत अनुसूची 2.5 - सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क में निर्धारित आवास अवधि का निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

(**क**). **खुले स्थान के लिए**:

प्राधिकरण द्वारा 21.06.2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-डीपीटी द्वारा यथाअनुमोदित अनुसूची 2.5.- सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क में अधिभोग की अवधि	**अधिभोग की अवधि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।**
0 – 60 दिन	दो महीने तक
61 – 90 दिन	महीने से अधिक से तीन माह तक
91 – 180 दिन	तीन महीने से अधिक से तीन माह तक
180 दिनों के बाद	छह महीने से इतर

(**ख**). **आवृत्त स्थान के लिए**:

प्राधिकरण द्वारा 21.06.2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-डीपीटी द्वारा यथाअनुमोदित अनुसूची 2.5.- सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क में अधिभोग की अवधि	**अधिवास की अवधि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।**
0 – 60 दिन	दो महीने तक

61 – 90 दिन	महीने से अधिक से तीन माह तक
91 – 180 दिन	तीन महीने से अधिक से छह माह तक
180 दिनों के बाद	छह महीने से इतर

(ii). डीपीटी के वर्तमान दरमानों में अध्याय-1, सामान्य-1.1 पिरभाषाएं में माह की निम्नलिखित परिभाषा को मद संख्या (viii) के रूप में अंतर्विष्ट किया जाए:-

'समय की वह विस्तारित अवधि जो एक तारीख से आरंभ होकर आगामी कलैंडर माह की सदृश तारीख तक होती है।'

8.2. अनुमोदित संशोधन भारत के राजपत्र में दरमानों की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होंगे।

8.3. डीपीटी को अपने वर्तमान दरमानों में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी जाती है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन–III/4/असा./24/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd April, 2018

No. TAMP/18/2016-KPT.— In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Deendayal Port Trust (DPT) for amendments in the revised Scale of Rates (SOR) approved in the Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016 passed by the Authority on the proposal received from the DPT for general revision of its SOR as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/18/2016-KPT

Deendayal Port Trust **- - -** **Applicant**

QUORUM:

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 19th day of March 2018)

This case relates to a proposal received from the Deendayal Port Trust (DPT) [formerly known as Kandla Port Trust] dated 09 January 2018 for amendments in the revised Scale of Rates (SOR) approved in the Order

No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016 passed by the Authority on the proposal received from the DPT for general revision of its SOR.

1.2. This Authority has passed an Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016, approving the revised SOR and Performance Standards on the proposal received from the DPT for general revision of its SOR. The revised SOR and Performance Standards approved by this Authority vide Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016, was notified vide Gazette No.287 dated 12 July 2016. Subsequently, a speaking order was notified vide Gazette No.319 dated 10 August 2016.

2.1. Now, with reference to the said Order dated 21 June 2016, the DPT vide its letter no.FA/COST/1021-SOR/15 dated 09 January 2018 has made the following submissions:

(i). In the approved SOR, under Chapter-III-Cargo Related Charges, Schedule 2.5. - License (Storage) Fees on general cargo for Open and covered space inside the custom bonded area, the rates prescribed are for per month or part thereof, whereas, the chargeable slab periods are (in number of days) as under:

0 - 60 days

61 - 90 days

91 - 180 days

Beyond 180 days

(ii). Since the rate is on per month basis and occupation is on day basis, the port users are charged the 2nd slab rate i.e.60-90 days while renewing the storage area in second month. This is because the occupation of the space for 2nd month exceeds 60 days, except the month of February. The port users have been raising this issue time and again immediately after the implementation of the present SOR. The issue has been examined by DPT and it is felt necessary to remove the ambiguity regarding the nomenclature of 'Period of Occupation' in 'Month' in line with the 'Rate' which is already on per month basis.

(iii). The prevailing and proposed nomenclature of period of occupation in SOR of DPT, are tabulated as under:

Period of occupation as prescribed in the SOR approved vide Order no.TAMP/18/2016-KPT dated 21.06.2016 at Schedule 2.5 - License (Storage) Fees on general cargo for Open and covered space inside the custom bonded area	**Proposed Period of occupation**
0 – 60 days	Upto two months
61 – 90 days	More than two months to three months
91- 180 days	More than three months to six months
Beyond 180 days	Beyond six months

(iv). There is no definition of month given in the above SOR. One of the definitions of month as per the British dictionary is as under:

'A period of time extending from one date to a corresponding date in the next calendar month'

Hence, to avoid users from being over-charged on account of difference in structure of period of occupation and License (storage) fees, the DPT has filed the current proposal to change the Period of Occupation from number of days into Month in line with the Rate which is on per month basis. The

DPT also proposes to adopt the above said definition of 'Month' in SOR of DPT. Accordingly, the following was placed before the Board of Trustee of DPT:

(a). To change the nomenclature "Period of Occupation" in "Months" in line with the "Rate", which is already on per month basis as under:
Upto two months
More than two months to three months
More than three months to six months, and
Beyond six months;

(b). To adopt the following definition of "Month", as mentioned in the British dictionary, in the SOR of DPT.

"A period of time extending from one date to a corresponding date in the next calendar month"

(v). The Board of Trustees of DPT, in its meeting held on 02 August 2017, has resolved *vide* resolution no.33 to approve the above proposal. A copy of Board resolution dated 02 August 2017 is furnished.

(vi). In view of the above, TAMP is requested to approve and notify the proposal as under:

A. Chapter-III – Cargo Related Charges:

2.5 License (Storage) Fees on General Cargo (A) for open space and (B) for covered space:

To change the nomenclature "Period of Occupation" in "Months" as given below in line with the "Rate", which is already on per month basis as under:
Upto two months
More than two months to three months
More than three months to six months
Beyond six months;

B. Insert Note (8) under Schedule 2.5 License (Storage) Fees on General Cargo adopting the following definition of "Month", as mentioned in the British dictionary, in the SOR of DPT.

"*A period of time extending from one date to a corresponding date in the next calendar month*"

2.2. Accordingly, the DPT has requested to consider the proposed amendment and revise the existing SOR of DPT.

2.3. A comparison of the Schedule 2.5 License (Storage) Fees on General Cargo vis-à-vis the proposal of DPT for amendment (highlighted as bold) is tabulated below:

<table>
<tr><th>Relevant Schedule 2.5- License (Storage) Fees on General Cargo proposed by DPT and approved by the Authority in Order No.TAMP/18/2016-DPT dated 21 June 2016</th><th>Proposal of DPT dated 09.11.2018 for amendment in Schedule 2.5- License (Storage) Fees on General Cargo</th></tr>
<tr><td>(A). FOR OPEN SPACE:
<table><tr><th>Period of occupation</th><th>Rate per 10 sq. mtr. or part thereof per month or part thereof</th></tr></table></td><td>I. Following amendment proposed in period of occupation prescribed in existing SOR in number of days to months:
(A). FOR OPEN SPACE:
<table><tr><th>Period of occupation</th><th>Rate per 10 sq. mtr. or part thereof per month or part thereof</th></tr></table></td></tr>
</table>

	Kutchha Plots (uncemented / unasphalted) (in ₹)	Pucca Plots (cemented asphalted) (in ₹)	Bins and raised plinth (in ₹)
0 – 60 days	84.00	144.00	168.00
61 – 90 days	168.00	288.00	336.00
91 – 180 days	210.00	360.00	420.00
Beyond 180 days	252.00	432.00	504.00

(B). FOR COVERED SPACE:

Period of occupation	Rate per 10 sq. mtr. or part thereof per month or part thereof (in ₹)
0 – 60 days	279.00
61 – 90 days	558.00
91 – 180 days	697.50
Beyond 180 days	837.00

	Kutchha Plots (uncemented/ unasphalted) (in ₹)	Pucca Plots (cemented asphalted) (in ₹)	Bins and raised plinth (in ₹)
Upto two months	84.00	144.00	168.00
More than two months to three months	168.00	288.00	336.00
More than three months to six months	210.00	360.00	420.00
Beyond six months	252.00	432.00	504.00

(B). FOR COVERED SPACE:

Period of occupation	Rate per 10 sq. mtr. or part thereof per month or part thereof (in ₹)
Upto two months	279.00
More than two months to three months	558.00
More than three months to six months	697.50
Beyond six months	837.00

(c). Insertion of following note no.8 under Schedule 2.5 defining Month:

"(8). A period of time extending from one date to a corresponding date in the next calendar month."

3. On a preliminary scrutiny of the proposal, the DPT was requested to furnish additional information/ clarifications vide our letter dated 19 February 2018. The DPT has responded vide its email dated 22 February 2018. A summary of additional information / clarification sought by us and reply furnished by DPT thereon is tabulated below:

Sr. No.	Information / clarification sought by us	Reply from DPT
(i).	It is seen from para 20 (xiii) of the general revision of SOR of DPT approved by the Authority vide Order no.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016 that out of the estimated Annual Revenue Requirement of ₹84,251.84 lakhs, ₹700 lakhs was left uncovered which was allowed to be met by DPT from the tariff items and conditionalities for which the DPT could not capture the revenue impact. The DPT to furnish the revenue impact of proposed amendment.	There is no major financial implication.

4. The DPT has now, based on request of users, filed the current proposal for the amendment in the slabs of period of occupation from number of days to months. Since the proposal filed by DPT flows from the point raised by users as reported by DPT, consultation process and joint hearing on the amendments proposed was not found necessary.

5. The proposal of DPT has brought to light the mismatch between the unit of levy (month or part thereof) and the chargeable periods of occupation of space (days) in the existing arrangement. Amendment to the chargeable periods of occupation in terms of month(s) will be in alignment with the existing unit of levy in terms of month or part thereof.

6.1. Definition for month is not prescribed in the existing approved SOR of DPT. Consequent to the amendment proposed in the period of occupation in term of month, the DPT has also proposed to insert a note no. 8 under schedule 2.5 prescribing definition of "Month", as given below adopting the definition of month prescribed in the British dictionary:

"*A period of time extending from one date to a corresponding date in the next calendar month.*"

6.2. There is no uniformity in the definition of month in the SOR of Major Port Trusts. Definition of month in SOR of Visakhapatnam Port Trust (VPT) and Chennai Port Trust (CHPT) is "*Month shall mean the calendar month*". Definition of month in SOR of Cochin Port Trust (COPT), Kolkata Port Trust (KOPT) and Mumbai Port Trust (MBPT) is "*Month shall mean 30 consecutive calendar days including holidays unless otherwise specified*".

6.3. Since the proposed definition of DPT is closer to the term defined in the SOR of COPT, KOPT and MBPT and recognizing that it is with the approval of the DPT Board, the definition of month as proposed by DPT is approved.

The port has proposed to insert the definition of 'Month' as a note no. 8 under schedule 2.5. It is appropriate to insert the proposed definition in the existing SOR of DPT under Definitions – General – 1.1 at Chapter – I after definition no.(vii) where various terms have been defined.

7. Ordinarily the Orders passed by this Authority have prospective effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette. Accordingly, the above amendments approved by this Authority to the existing SOR notified by this Authority vide Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016, is made effective after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR in the Gazette of India.

8.1. In the result, and for the reason given above, and based on a collective application of mind, the following amendments in the existing Scale of Rates of DPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016 are approved:

(i). **Period of Occupation prescribed in existing Schedule 2.5. – License (Storage) Fees on General Cargo under Schedule 2 at Chapter - III in the SOR is amended as follows:**

(A). FOR OPEN SPACE:

Period of occupation as prescribed in the SOR approved vide Order no.TAMP/18/2016-KPT dated 21.06.2016 at Schedule 2.5 - License (Storage) Fees on general cargo	**Period of occupation to be replaced with the following:**
0 – 60 days	Upto two months
61 – 90 days	More than two months to three months
91- 180 days	More than three months to six months
Beyond 180 days	Beyond six months

(B). FOR COVERED SPACE:

Period of occupation as prescribed in the SOR approved vide Order no.TAMP/18/2016-KPT dated 21.06.2016 at Schedule 2.5 - License (Storage) Fees on general cargo	**Period of occupation to be replaced with the following:**
0 – 60 days	Upto two months
61 – 90 days	More than two months to three months
91- 180 days	More than three months to six months
Beyond 180 days	Beyond six months

(ii). Insert the following definition of month in the existing SOR of DPT under 1.1 - Definitions – General under Chapter – I as item no.(viii):

"Month shall mean a *period of time extending from one date to a corresponding date in the next calendar month*"

8.2. The amendments approved will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR in the Gazette of India.

8.3. The DPT is advised to suitably amend the existing SOR.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./24/18]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.13 19:30:36 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.